[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii)]

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2016 .

S.O(E). — In exercise of the powers conferred by S	ection
458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of	of the
notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate A	
dated the 10th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary	y, Part
II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1539(E), dated the 10th July,	, 2012,
and also in supersession of the notification of the Government of India,	in the
Ministry of Corporate Affairs, dated the 21st May, 2014, published	
Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide nu	ımber
S.O. 1352(E), dated the 22nd May, 2014, except as respects things done or or	
to be done before such supersession, the Central Government hereby dele	
to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, New	Delhi,
Ahmedabad, Hyderabad and Shillong, the powers and functions vested	
under the following sections of the said Act, subject to the condition the	at the
Central Government may revoke such delegation of powers or may	itself
exercise the powers under the said sections, if in its opinion such a cou	irse of
action is necessary in the public interest, namely :-	

- (a) clause (i) of sub-section (4) of section 8 (for alteration of memorandum in case of conversion into another kind of company);
- (b) sub-section (6) of section 8;
- (c) sub-sections (4) and (5) of section 13;
- (d) section 16;
- (e) section 87;
- (f) sub-section (3) of section 111;
- (g) sub-section (1) of section 140;
- (h) sub-section (5) of section 230;
- (i) sub-sections (2), (3), (4), (5) and (6) of section 233;
- (j) first and second proviso of sub-section (3) of section 272;
- (k) sub-section (1) of section 348;
- (l) sections 361, 362, 364 and 365
- (m) clause (i) of the proviso to sub-section (1) of section 399 and
- (n) section 442.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/31/CAA/2013/-CL-V]

Amardeep Singh Bhatia,
Joint Secretary

## [भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख । (१ दिसम्बर, 2016

का.आ. \_\_\_\_\_\_(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 जुलाई, 2012 में का. आ. 1539 (अ) तारीख 10 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना का, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 21 मई, 2014 में का. आ. 1352(अ) तारीख 22 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना को भी, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग के प्रादेशिक निदेशकों को, उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अधीन इस शर्त के अधीन रहते हुए शक्तियां और कृत्य निहित करती है कि केन्द्रीय सरकार उसकी राय में, लोकहित में यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है तो उक्त धाराओं के अधीन इन शक्तियों के प्रत्यायोजन को वापस ले सकेगी या शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकेगी, अर्थात :-

- (क) धारा 8 की उपधारा (4) का खंड (i) (अन्य प्रकार की कंपनी में संपरिवर्तन के मामले में ज्ञापन के परिवर्तन के लिए);
- (ख) धारा 8 की उपधारा (6);
- (ग) धारा 13 की उपधारा (4) और उपधारा (5);
- (घ) धारा 16;
- (ङ) धारा 87;
- (च) धारा 111 की उपधारा (3);
- (छ) धारा 140 की उपधारा (1);
- (ज) धारा 230 की उपधारा (5);
- (झ) धारा 233 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), और उपधारा (6);

- (ञ) 272 की उपधारा (3) का पहला और दूसरा परन्तुक;
- (ट) धारा 348 की उपधारा (1);
- (ठ) धारा 361, धारा 362, धारा 364 और धारा 365;
- (ड) धारा 399 की उपधारा (1) के परन्तुक का खंड (i); और
- (ढ) धारा 442 ।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013/-सीएल-V]

अगरदीप सिंह भाटिया

संयुक्त सचिव